कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा

पत्रांक 324 /   दिनांक 20/03/2021

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
रामकृष्ण विद्यापीठ , वासुदेवपुर
नियर दिल्ली मोड़, बेला, दरभंगा

दरभंगा, दिनांक.................

विषयः– **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के आलोक में किये गये प्रक्रिया के उपरान्त आपके विद्यालय **रामकृष्ण विद्यापीठ, वासुदेवपुर, नियर दिल्ली मोड़, बेला, दरभंगा** को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षो अर्थात् मार्च 2021 से फरवरी, 2024 की अवधि के लिए आवंटित औपबंधिक प्रस्वीकृति संख्या–**RTE-DAR-0335/2021** का प्रदान किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति इसके साथ संलग्न पत्र में अंकित निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति की संख्या– **RTE- DAR-0335/2021** है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धत किया जाय।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, दरभंगा।

ज्ञापांक 118 / दरभंगा, दिनांक 20-03-2021

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), दरभंगा एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित विद्यालय को विभाग द्वारा औपबंधिक प्रस्वीकृति दी गई है, जिनका विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र मान्य है तथा जिनका प्रतिहस्ताक्षरण आपके द्वारा अभिलेखों के मिलान उपरान्त किया जाना है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान दरभंगा।

Manager
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur, Bela, Darbhanga-846005

Principal
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur Bela, Darbhanga-846005

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नही कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते है, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगें।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें।
   viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नही होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं के विवरण निम्नवत :

Manager
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur, Bela, Darbhanga-846005

Principal
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur Bela, Darbhanga-846005

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र;

खेल के मैदान का क्षेत्र;

वर्गकक्षों की कुल संख्या;

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष;

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय ;

पेयजल की सुविधा; मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर; बाधारहित पहुँच;

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नही होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चाटर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **RTE- DAR-0335/2021** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन सें संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0 शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान दरभंगा।

Manager
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur, Bela, Darbhanga-846005

Principal
Ramkrishna Vidyapeeth
Vasudeopur Bela, Darbhanga-846005